19

विलोपित

न्यायालय राजस्व मण्ड़ल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्र0 क0 PBR / विविध / अशोकनगर / भू–रा. / 2017 / 6118

श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा एड वीर सिंह आदि ——— आवेदकगंण
द्वारा आज दि. 15/12/17 ग्वा. निवासी - ग्राम रघुजराई तह. मुंगावली
प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु विरुद्ध जिला अ.नगर
दिनांक 28-12-17 नियत।
कमला आदि ——— अनावेदकगंण
निवासी - ग्राम रघुजराई तह. मुंगावली
क्लर्क ऑफ कोर्ट 15-12-17 जिला - अ. नगर
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

भूल–सुधार वावत् आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 32, म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959

श्रीमान महोदय,

आवेदक की ओर से निम्न प्रार्थना है कि :–

1– यह कि, श्रीमान न्यायालय द्वारा निगरानी प्र0क0 3416–दो / 2016 में दिनांक 13.11.2017 को आदेश पारित किया गया है, जिसमें भूलवश टंकण की त्रुटि से उक्त आदेश के पृष्ठ कमांक 2 पर पैराग्राफ–2 में ऊपर से पांचवी लाइन में भूलवश प्रकरण कमांक 42 / अ–19 / 2001–02 पारित आदेश के स्थान पर प्रकरण कमांक 43 / अ–19 / 2001–02 पारित आदो टंकित हो गया है।

2– यह कि, आदेश के पृष्ठ कमांक–3 के पैराग्राफ–5 के लाइन नम्बर 2 में कलेक्टर जिला अशोकनगर का आदेश दिनांक 21–09–16 के स्थान पर भूलवश अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा का आदेश दिनांक 24–4–2009 टंकित हो गया है।

अतः मान0 न्यायालय से प्रार्थना है कि उक्त आदेश के पृष्ठ कमांक–2 पर पैराग्राफ–2 में ऊपर से पांचवी लाइन में प्रकरण कमांक 43 / अ–19 / 2001–02 पारित आदो के स्थान पर 42 / अ–19 / 2001–02 पारित आदेश एवं पृष्ठ कमांक–3 के पैराग्राफ–5 के लाइन नम्बर–2 में अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा का आदेश दिनांक 24–4–2009 के स्थान पर कलेक्टर जिला अशोकनगर का आदेश दिनांक 21–09–16 टंकित किये जाने की कृपा की जावे।

अनावेदक क्रमांक-2
द्वारा अभिभाषक 15/12/17
रजनी वशिष्ठ शर्मा
एडवोकेट

इति दिनांक 15 / 12 / 17

स्थान– ग्वालियर

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक तीन / विविध / अशोकनगर / भू.रा. / 2017 / 6118

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभा' आदि के हस्ताक्षर
21-12-17	आवेदक के अधिवक्ता श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा उपस्थित होकर शीघ्र सुनवाई का आवेदन एवं भूल सुधार बवत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 32 म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 का प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि इस न्यायालय का प्रकरण कमांक निगरानी 3416–दो / 2016 में पारित आदेश दिनांक 13.11.17 में भूलवश टंकण की त्रुटि से आदेश के पृष्ठ कमांक 2 पर पैराग्राफ –2 में ऊपर से पांचवी लाइन में प्रकरण क्रमांक 42 / अ–19 / 2001–02 के स्थान पर प्रकरण कमांक 43 / अ–19 / 2001–02 हो गया है इसीप्रकार आदेश के पृष्ठ कमांक –3 के पैराग्राफ –5 के लाइन नम्बर 2 में कलेक्टर जिला अशोकनगर का आदेश दिनांक 21.9.16 के स्थान पर भूलवश अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा का आदेश दिनांक 24.4.09 टंकित हो गया है। 2– आवेदक अधिवक्ता के तर्को पर विचारोपरांत उनका अनुरोध स्वीकार किया जाता है तथा प्रकरण कमांक 43 / अ–19 / 2001–02 के स्थान पर प्रकरण कमांक 42 / अ–19 / 2001–02 पढ़ा जावे तथा अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा का आदेश दिनांक 24.4.09 के स्थान पर कलेक्टर जिला अशोकनगर का आदेश दिनांक 21.9.16 पढ़ा जावे। यह आदेश पत्रिका आदेश का मूल अंग मानी जावेगी। सदस्य	